न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 129/2020
3. उनवान : सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना प्रागपुरा

बनाम

1. श्री हजारी लाल पुत्र पांचूराम उम्र 43 साल जाति गुर्जर निवासी पापडा थाना विराटनगर।
2. श्री गेंदालाल पुत्र श्री नाथूराम जाति गुर्जर उम्र 27 साल निवासी सोठाना थाना विराटनगर।
3. श्री रोहिताश उर्फ टमाटर पुत्र श्री धुणीलाल जाति माली उम्र 30 साल निवासी वार्ड नं. 17 ढाणी मेहन्दोला थाना विराटनगर।

4. निर्णय दिनांक : 08.07.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी थानाधिकारी पुलिस थाना प्रागपुरा, जिला जयपुर ग्रामीण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट, अपराध विवरण फार्म, पूछताछ नोट आदि पेश कर प्रार्थना पत्र में कथन किया कि मुखबिर की सूचना पर दिनांक 27.10.2013 को दिल्ली हाइवे पर थाने के पास दौराने नाकाबंदी दिल्ली की तरफ से आई पिकअप RJ14-GE-7373 को रोक कर चैक करने पर पिकअप में पिछे 11 ड्रम प्लास्टिक के व तीन कैन प्लास्टिक थे। पिकअप में सवार अप्रार्थीगण से पूछताछ करने पर ड्रमों में डीजल व केन में पेट्रोल भरा होना बताया। तत्पश्चात राशन डीलर श्री उमेश पुत्र गोरधन लाल को बुलवाकर तेल की गैज द्वारा नापं तौल करवाने पर 7 ड्रमों में 220–220 लीटर, 2 ड्रमों में 225–225 लीटर, 2 ड्रमों में 235–235 लीटर कुल 2460 लीटर डीजल व तीन कैनों में 60–60 लीटर कुल 180 लीटर पेट्रोल मिला। अप्रार्थीगण द्वारा डीजल व पेट्रोल के परिवहन करने व भण्डारण रखने बाबत पास, परमिट व लाईसेन्स उपलब्ध नहीं करवाया गया ना ही गाडी के कागजात प्रस्तुत किये। उक्त व्यक्तियों का इस प्रकार डीजल व पेट्रोल को भारी मात्रा में काला बाजारी के लिये ले जाना पाया जाने पर प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत जब्त माल को राजसात करने का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज करवाया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज होने पर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। श्री रामनिवास सैनी की ओर से दिनांक 06.12.2013 को अधिवक्ता श्री योगेन्द्र सिंह तंवर ने वकालतनामा पेश किया और जरिये अधिवक्ता जमानतनामें/सुपुर्दगीनामें पर पिकअप को रिलीज किये जाने का निवेदन किया है, जिस पर सुपुर्दगीनामा व रुपये 5,00,000/– का जमानतनामा पेश करने पर माननीय न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर द्वारा दिनांक 06.01.2014 को

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III • JAIPUR •

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

पिकअप संख्या RJ14-GE-7373 के रिलीज आर्डर पारित किये गये। तत्पश्चात प्रकरण में अप्रार्थीगण की ओर से कोई अभिभाषक उपस्थित नहीं हुआ ना ही जवाब पेश किया गया। अप्रार्थीगण/अभिभाषकगण के लम्बे समय तक अनुपस्थित रहने के बावजूद पत्रावली बहस पर रखी गयी। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी, न्याय हित में अन्तिम अवसर भी दिया गया। इस पर भी अप्रार्थीगण/अभिभाषकगण अनुपस्थित रहे। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 08.07.2022 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन करने पर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रार्थी थानाधिकारी, पुलिस थाना प्रागपुरा द्वारा दिनांक 27.10.2013 को दौराने नाकाबंदी पिकअप संख्या RJ14-GE-7373 पर जांच कार्यवाही कर कुल 2460 लीटर डीजल व 180 लीटर पेट्रोल जब्त किया। मौके पर अप्रार्थीगण द्वारा डीजल व पेट्रोल के परिवहन करने व भण्डारण रखने बाबत पास, परमिट व लाईसेन्स उपलब्ध नहीं करवाया गया ना ही गाडी के कागजात प्रस्तुत किये गये। प्रकरण में अप्रार्थीगण/अभिभाषकगण द्वारा न्यायालय के समक्ष भी आज दिनांक तक जब्त सामान से संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किये। प्रार्थी द्वारा जब्त डीजल व पेट्रोल अवैध था और उनके संधारण बाबत अप्रार्थी द्वारा कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किये गये हैं और किसी अन्य ने भी जब्त सामग्री के लिये क्लेम नहीं किया है। जिससे उक्त जब्त वस्तुओं की कालाबाजारी करने हेतु काम में लिया जाना पुष्ट होता है। ऐसी स्थिति में हम जब्त ड्रम एवं केन सहित कुल 2460 लीटर डीजल व 180 लीटर पेट्रोल एवं इनके अवैध परिवहन में काम ली जा रही पिकअप संख्या RJ14-GE-7373 को अवैध मानते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित पाते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के मद्देनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा ड्रम एवं केन सहित सामान कुल 2460 लीटर डीजल व 180 लीटर पेट्रोल एवं पिकअप संख्या RJ14-GE-7373 शामिल है, को राजसात किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी जयपुर ग्रामीण को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III • JAIPUR •

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।